

## न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का रोहिण्डी  
बनाम

अप्रार्थी :- मुंशी मोहम्मद पिता चांद खां मुसलमान निवासी मालासगुसाईया  
अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956  
प्रकरण संख्या 75/17

निर्णय दिनांक 26/9/2017

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रोहिण्डी ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2074 में सरहद मालासगुसाईया के ख.न. 568 रकबा 0.02 है. भूमि किस्म गै.मु. रास्ता में खन्दक लगा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी को स्वयं से नोटिस तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी दिनांक 22.9.2017 को उपस्थित हुआ जबाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी का मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 5 रूपये प्रति है. की दर से अतिक्रमित रकबा 0.02 है. भूमि के 0.20 रूपये लगान का 50 गुणा 10/- अक्षरे दस रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

~~मुंशी मोहम्मद पिता चांद खां  
अप्रार्थी का नाम  
मुंशी मोहम्मद पिता चांद खां  
अप्रार्थी का नाम~~

तहसीलदार परबतसर

12-18 35  
वसूली का ब्योरा ..... के दृश्य व .....  
पत्रावली नं. 10/17 .....  
किसी दलील की अई।

तहसीलदार परबतसर